ए.

आईएमआरएएन

वी.

श्री मोहम्मद बावा और ए. एन. आर. (2022 की आपराधिक अपील संख्या 658) 22 अप्रैल, 2022

बी.

[एन. वी. रमना, सीजेआई, कृष्णा मुरारी और हिमा कोहली, जे. जे.]

जमानतःजमानत रद्द करना-तत्काल मामले में, 1 से 10 अभियुक्त व्यक्तियों पर अपराध करने का आरोप लगाया गया था।114, 109, 120 बी, 143,147,148,341,307,302 और 395 आर/डब्ल्यू एस।149 भारतीय दण्ड संहिता सी.-अभियुक्त नं. 6 ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया और आरोपी संख्या 8 ने सत्र न्यायालय के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन किया जिसे खारिज कर दिया गया लेकिन दोनों जमानत याचिकाओं को उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया-इसके बाद अपील पर उच्च न्यायालय ने आरोपी संख्या 2,3,4,7,9 और 10 को दी गई जमानत को रद्द कर दिया जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा और आरोपी संख्या 1 की नियमित जमानत भी रद्द कर दी गई-उच्च न्यायालय द्वारा आरोपी संख्या 6 और 8 को दी गई जमानत को रद्द न करने से पीड़ित, वादी ने तत्काल अपील दायर की-आयोजितःनिचली अदालत द्वारा पहले से दी गई जमानत को रद्द करने के लिए आवेदन के लिए उच्च न्यायालय के कहने पर महत्वपूर्ण जांच की आवश्यकता होती है, हालांकि, जब जमानत दी जाती है तो उसे हमेशा रद्द किया जा सकता है यदि रिकॉर्ड पर प्रासंगिक सामग्री, अपराध की गंभीरता या इसके सामाजिक प्रभाव पर निचली अदालत द्वारा विचार नहीं किया गया है-ऐसे मामलों में, जहां जमानत यांत्रिक तरीके से दी जाती है, जमानत देने का आदेश दरकिनार किया जा सकता है-जहां तक आरोपी प्रत्यर्थीगण के खिलाफ विशिष्ट कृत्यों के आरोप का संबंध है, सभी गवाहों के बयान से यह स्पष्ट हो जाता है कि आरोपी संख्या 6 और 8 ने वास्तव में मृतक पर हमला करने में भाग लिया था-इसके अलावा, जब आरोपी समूह ने अपना हमला जारी रखा, तो आरोपी संख्या 6 ने उन्हें यह कहकर उकसाया कि यह पर्याप्त नहीं था-इसके बाद, जैसा कि उनके बयान से पता चलता है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1093

1094 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 2 एस. सी. आर.

ए.

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः**1.** यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि एक बार जमानत दिए जाने के बाद इसे रद्द करने के लिए भारी परिस्थितियों की आवश्यकता होगी।हालांकि, विपन कुमार धीर बनाम पंजाब राज्य और अन्न मामले में यह दोहराया गया कि जबकि पारंपरिक रूप से, किसी आरोपी को जमानत देने के बाद निष्पक्ष सुनवाई में बाधा डालने वाली कुछ पर्यवेक्षी परिस्थितियां विकसित होनी चाहिए, एक उच्च अदालत द्वारा इसे रद्द करने के लिए, जमानत को भी एक उच्च अदालत द्वारा रद्द किया जा सकता है, जब जमानत देने वाली पिछली अदालत ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध प्रासंगिक सामग्री, अपराध की गंभीरता या इसके सामाजिक प्रभाव की अनदेखी की है।**[**पैरा **23] [1100-**जी-एच**; 1101-**ए**]**

बी.

सी.

विपन कुमार धीर बनाम पंजाब राज्य और अन्न। **2021** एससीसी ऑनलाइन एससी **854;** राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह और अन्य **(2002) 3** एससीसी **598: [2002] 2** एस**.** सी**.** आर**. 526;** प्रशांत कुमार सरकार बनाम आशीष चटर्जी

और एन. आर. (2010) 14 एससीसी 496:[2010] 12 एस. सी. आर. 1165-पर निर्भर था।

डी.

2. निचली अदालत द्वारा पहले से दी गई जमानत को रद्द करने पर विचार करने के लिए वास्तव में उच्च न्यायालय के कहने पर महत्वपूर्ण जांच की आवश्यकता होगी, हालांकि, जमानत दिए जाने पर हमेशा रद्द की जा सकती है यदि रिकॉर्ड पर प्रासंगिक सामग्री, अपराध की गंभीरता या इसके सामाजिक प्रभाव पर निचली अदालत द्वारा विचार नहीं किया गया है।ऐसे मामलों में, जहां जमानत यांत्रिक तरीके से दी जाती है, जमानत देने का आदेश दरकिनार किया जा सकता है।इसके अलावा, कुछ बुनियादी सिद्धांत जिन्हें जमानत देने के लिए आवेदन पर निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।इस प्रकार, जबकि प्रत्येक मामले का अपना विशिष्ट तथ्यात्मक मैट्रिक्स होता है, जो जमानत मामलों के

निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जमानत देने का उपयोग अच्छी तरह से तय किए गए सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए भी किया जाना चाहिए।जहाँ तक अभियुक्त प्रत्यर्थीगण के खिलाफ विशिष्ट कृत्यों के आरोप का संबंध है, सभी गवाहों के बयान से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्त संख्या **6** और **8** ने वास्तव में मृतक पर हमला करने में भाग लिया है। इसके अलावा, जैसे ही आरोपी समूह ने अपना हमला जारी रखा, आरोपी संख्या **6** ने उन्हें यह कहकर उकसाया कि यह पर्याप्त नहीं था।इसके बाद, शिकायतकर्ता/अपीलार्थी के बयान के अनुसार, मोटरसाइकिल पर आए आरोपी संख्या **8** ने भी मृतक ए को बेरहमी से पीटा था।

ई.

एफ.

जी.

एच.

1095

इमरान बनाम श्री मोहम्मद बावा और ए. एन. आर. ए.

लकड़ी की छड़ी के साथ।इन बयानों के अलावा, यह इंगित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि एक सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए एक जघन्य अपराध किया गया था, और इसलिए आरोपी प्रत्यर्थीगण को जमानत पर नहीं बढ़ाया जाना चाहिए था।**[**पैरा **26,30,35] [1103-**डी**-**एफ**; 1104-**सी**-**डी**]**

बी.

नीरू यादव बनाम। उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का राज्य **(2016) 15** एस**.** सी**.** सी**.**

422 :[2015] 10 एससीआर **802-**पर निर्भर।

अर्णब मनोरंजन गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य। (2021) 2 एस. सी. सी. 427; दौलत राम और अन्य बनाम

हरियाणा राज्य (1995) 1 एससीसी 349:[1994] 6 पूरक।

एस. सी. आर. 69; राज्य (दिल्ली प्रशासन) बनाम संजय गांधी (1978) 2 एस. सी. सी. 411; कश्मीरा सिंह बनाम दुमन सिंह (1996) 4 एस. सी. सी. 693; सी. बी. आई. बनाम सुब्रमण्यन (2011) 5 एस. सी. सी.

सी.

296 :[2011] 5 एस**.** सी**.** आर**. 824;** एक्स बनाम तेलंगाना राज्य **(2020) 16** एस**.** सी**.** सी**. 511;** उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह और अन्य

राम गोविंद (2002) 3 एससीसी 598:[2002] 2 एस. सी. आर. 526-संदर्भित।

डी.

मामला कानून संदर्भ

[2002] 2 एससीआर **526**

उस पर भरोसा करें

पैरा **14**

(2021) 2 एस**.** सी**.** सी**. 427**

संदर्भित किया गया है

पैरा **17**

ई.

[1994] 6 पूरक।एससीआर **69**

संदर्भित किया गया है

पैरा **20**

संदर्भित किया गया है

पैरा **20**

(1978) 2 एस**.** सी**.** सी**. 411**

(1996) 4 एस**.** सी**.** सी**. 693**

संदर्भित किया गया है

पैरा **20**

[2011] 5 एससीआर **824**

संदर्भित किया गया है

पैरा **20**

एफ.

(2020) 16 एस**.** सी**.** सी**. 511**

संदर्भित किया गया है

पैरा **20**

[2002] 2 एससीआर **526**

संदर्भित किया गया है

पैरा **24**

[2010] 12 एससीआर **1165**

उस पर भरोसा करें

पैरा **25**

जी.

[2015] 10 एससीआर **802**

उस पर भरोसा करें

पैरा **32**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2022 की आपराधिक अपील संख्या 658।

एच.

1096

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 2 एस सी आर।

2020 की आपराधिक याचिका संख्या 6052 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांक 08.02.2021 के निर्णय और आदेश से।के साथ

2022 की आपराधिक अपील संख्या 659।

बी.

शेखर जी. देवसा, मनीष तिवारी, शशि भूषण नागर, मेसर्स देवसा एंड कंपनी के लिए सुश्री सत्विसा पटनायक, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।सिद्धार्थ दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता, मोहम्मद। इरशाद हनीफ, रिज़वान अहमद, सलीम खान, कैलाश यू. मोरे, अंशुमन अशोक, आनंद पांडे,

अद्वितीया शर्मा, सुश्री आरुषि सिंह, सुश्री सौम्या गुप्ता, सुश्री विधि, वी. एन. रघुपति, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

सी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

कृष्णा मुरारी, जे।

1. छुट्टी दे दी गई।

डी.

2. ये दोनों अपीलें क्रमशः आपराधिक याचिका संख्या 6052/2020 और आपराधिक याचिका संख्या 3902/2020 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित 08.02.2021 और 19.10.2020 दिनांकित निर्णयों और आदेशों के खिलाफ निर्देशित हैं। इसमें प्रत्यर्थी संख्या 1, दो याचिकाओं में, मोहम्मद भव और मोहम्मद मुस्तफा को प्राथमिकी संख्या 38/2020 दिनांक 05.06.2020 में अभियुक्त संख्या 6 और अभियुक्त संख्या 8 के रूप में प्रस्तुत किया गया है।उक्त प्रत्यर्थीगण के साथ आठ अन्य सह-अभियुक्तों पर भारतीय दंड भारतीय दण्ड संहिता की धारा 143,147,148,341,307,302,395 (इसके बाद 'आई. पी. सी.' के रूप में संदर्भित), आई. पी. सी. की धारा 149 के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया है। उच्च न्यायालय ने यहां विवादित आदेशों के माध्यम से दोनों प्रत्यर्थीगण की क्रमशः अग्रिम जमानत याचिका और जमानत याचिका को मंजूरी दे दी है।

ई.

एफ.

तथ्यात्मक मैट्रिक्स

3. इसमें अपीलार्थी (मूल शिकायतकर्ता) अब्दुल लतीफ (मृतक) का पुत्र है।05.06.20 पर, शुरू में, भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 143,147,148,341,307,302,395 के तहत एक एफ़. आई. आर. दर्ज की गई थी, जिसे भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 149 के साथ पढ़ा गया था। अनुसंधान के बाद भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 114,109 और 120 बी को भी आरोप पत्र में जोड़ा गया था।उक्त एफ. आई. आर. में उपरोक्त धाराओं के तहत अपराध करने के लिए दस व्यक्तियों को आरोपी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

जी.

4. यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि आरोपी नंबर 1-दाऊद हकीम, जिसकी सी. डब्ल्यू. 2-एक बदरुल मुनीर के साथ दुश्मनी थी, ने ए.

एच.

सी. डब्ल्यू. 2 को खत्म करने के लिए अन्य सभी अभियुक्तों के साथ साजिश।इस सामान्य उद्देश्य के अनुसार, आरोपी नंबर 2 से 10, एक बाइक और कार पर आया, सी. डब्ल्यू. 1 (अपीलार्थी), 2 (बदरुल मुनीर) और 3 (हियाज़) पर सोडा की बोतल और पत्थरों से हमला किया, और बाद में मृतक-अब्दुल लतीफ की हत्या कर दी।घायल गवाह, मृतक और इसमें अपीलकर्ता (शिकायतकर्ता) रिश्तेदार हैं।बदरुल मुनीर (सी. डब्ल्यू. 2) मृतक अब्दुल लतीफ के दामाद हैं।विस्तृत तथ्यात्मक मैट्रिक्स इस प्रकार है:5. आई. डी. 1 को शाम लगभग 4 बजे से शाम 4.05 बजे तक, जब अपीलकर्ता अन्य दो सी. डब्ल्यू. और मृतक के साथ एच. डी. एफ. सी. बैंक, मुल्की शाखा से लौट रहा था, तब आरोपी नंबर 2 से 10 ने सी. डब्ल्यू. 2, बदरुल मुनीर की कार को रोक दिया।जबकि आरोपी नंबर 2 और 3 ने बदरुल मुनीर को गाली देना शुरू कर दिया और उसके बाद उसके और उसके बेटे हियाज़ (सी. डब्ल्यू. 3) पर चाकू और लकड़ी के डंडे से हमला किया, आरोपी नंबर 4 और 7 भी शामिल हो गए और बदरुल मुनीर पर क्रमशः सोडा की बोतल और कंक्रीट के पत्थर से हमला किया।

बी.

सी.

6. अपने दामाद बदरुल मुनीर को बेरहमी से प्रताड़ित होते देख मृतक अब्दुल लतीफ ने हस्तक्षेप किया।हालाँकि, जैसे ही मृतक ने हस्तक्षेप किया, आरोपी संख्या 6, मोहम्मद भव (एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) में प्रतिवादी संख्या 1) 2022 का नंबर 27) ने उन्हें धक्का दिया।उक्त अभियुक्त संख्या 6 ने आगे कहा कि 'यह एकमात्र चीज नहीं थी और उसके पास और अधिक होगा'।परिणामस्वरूप, अन्य सभी अभियुक्त (एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) में मुस्तफा, अभियुक्त संख्या 8 अर्थात प्रत्यर्थी संख्या 1 सहित) 2022 का सं. 1242) ने मृतक का पीछा किया और अपने घातक हथियारों से उस पर हमला किया, क्योंकि वह बैंक के प्रवेश द्वार के पास गिर गया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मौत हो गई।7. इस घटना के बाद, अभियुक्त संख्या 8 (एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) में प्रतिवादी संख्या 1) 2022 का सं. 1242) ने एक नियमित जमानत याचिका दायर की जिसे सत्र अदालत ने खारिज कर दिया। अंततः अनुसंधान भी पूरी हो गई और गवाहों के बयानों, बरामद किए गए लेखों, चिकित्सा राय और एफ. एस. एल. रिपोर्ट के आधार पर सभी अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया।

डी.

ई.

एफ.

8. इसके बाद, अभियुक्त सं. 6 (एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) में प्रतिवादी सं. 1) 2022 का सं. 27) ने सत्र अदालत के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर की, जिसे दिनांक 14.10.2020 के फैसले के माध्यम से भी खारिज कर दिया गया था।9. पीड़ित, अभियुक्त सं. 6 और 8, दोनों ने उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदनों को प्राथमिकता दी, जिन्हें क्रमशः आपराधिक याचिका सं. 6052/2020 और आपराधिक याचिका सं. 3902/2020 में दिनांकित 08.02.2021 और 19.10.2020 के विवादित निर्णयों और आदेशों के माध्यम से अनुमति दी गई थी।

जी.

एच.

10. विवादित निर्णयों के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि अन्य सह-अभियुक्तों को भी जमानत दी गई थी, इसलिए अभियुक्त प्रत्यर्थीगण संख्या 1 द्वारा मांगी गई राहत, दोनों याचिकाओं में दी जा सकती है।11. हालाँकि, बाद में, उच्च न्यायालय ने अपने फैसले और दिनांक 26.08.21 के आदेश के माध्यम से अपराध स्थल पर मौजूद अन्य सभी अभियुक्तों यानी अभियुक्त संख्या 2,3,4,7,9 और 10 को दी गई जमानत को रद्द कर दिया। इस रद्द करने के आदेश को इस अदालत ने एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) में 20.10.21 के आदेश के माध्यम से बरकरार रखा है। 2021 का सं. 7586-7592।इसके अलावा, उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य अभियुक्त यानी अभियुक्त संख्या 1 को दी गई नियमित जमानत को भी इस अदालत के समक्ष चुनौती दी गई थी।इस अदालत ने दिनांक 1 के अंतिम आदेश के माध्यम से अपील की अनुमति दी, और अभियुक्त संख्या 1 को जमानत देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया।

बी.

सी.

अपीलार्थी द्वारा की गई दलीलें

12. पीड़ित वादी , अन्य बातों के साथ-साथ, तर्क देता है कि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेशों के माध्यम से अपराधों की गंभीरता पर विचार नहीं करने में गलती की है, और चश्मदीद गवाहों के संस्करण और रिकॉर्ड पर उपलब्ध अन्य सामग्री की अनदेखी की है। इसलिए, विवादित आदेशों के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने दोनों प्रत्यर्थीगण, अर्थात् अभियुक्त संख्या 6 और 8 के खिलाफ उपलब्ध अभिलेख पर प्रथम दृष्टया महत्वपूर्ण सामग्री को

दरकिनार कर दिया है।दोनों अभियुक्तों ने एक जघन्य अपराध को उकसाया और उसमें भाग लिया था और इसलिए वे किसी भी विवेकाधीन राहत के हकदार नहीं थे।

डी.

ई.

13. यह आगे तर्क दिया जाता है कि विवादित आदेश इस हद तक दिमाग का उपयोग न करने से पीड़ित हैं कि नीचे की अदालत दोनों अभियुक्त प्रत्यर्थीगण द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता और प्रकृति पर विचार करने में विफल रही।इस प्रकार उच्च न्यायालय ने यह विचार न करने में गलती की कि पूर्व नियोजित हत्या के मामले में शामिल दोनों अभियुक्तों को जमानत देने से अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा होगा।14. अपीलार्थी आगे इस निर्णय पर जोर देता है

एफ.

राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह और अन्य **1**

जिसमें यह देखा गया है कि जमानत का अनुदान हालांकि विवेकाधीन है, लेकिन विवेकपूर्ण तरीके से इस तरह के विवेकाधिकार का प्रयोग करने की आवश्यकता है।

जी.

जमानत देना हालांकि एक विवेकाधीन आदेश है, लेकिन इस तरह के विवेकाधिकार का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करने की आवश्यकता है, न कि निश्चित रूप से।किसी भी ठोस के बिना जमानत के लिए आदेश

1 (2002) 3 एससीसी 598 ए

एच.

कारण को कायम नहीं रखा जा सकता।हालाँकि, यह दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है कि जमानत की मंजूरी अदालत द्वारा निपटाए जा रहे मामले के प्रासंगिक तथ्यों पर निर्भर करती है और तथ्य हमेशा मामले-दर-मामले भिन्न होते हैं।जबकि समाज में अभियुक्त की नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है, लेकिन यह अपने आप में जमानत देने के मामले में एक मार्गदर्शक कारक नहीं हो सकता है और इसे हमेशा जमानत देने की आवश्यकता वाली अन्य परिस्थितियों के साथ जोड़ा जाना चाहिए।अपराध की प्रकृति जमानत देने के लिए बुनियादी विचारों में से एक है, अधिक जघन्य अपराध है, जमानत की अस्वीकृति की संभावना उतनी ही अधिक होती है, हालांकि, मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर निर्भर करता है।

बी.

सी.

15. अंत में, यह भी तर्क दिया जाता है कि सभी शेष अभियुक्त, अर्थात अभियुक्त सं. 1,2,3,4,5,7,9 और 10, जिनकी जमानत बाद में उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा रद्द कर दी गई थी, ने अभी तक आत्मसमर्पण नहीं किया है।इसके विपरीत, वे अपीलार्थी के साथ-साथ मुकदमे में शामिल अन्य चश्मदीद गवाहों को धमकी दे रहे हैं।

डी.

अभियुक्त संख्या **6** द्वारा की गई दलीलें:एस**.** एल**.** पी**. (**सी**.** आर**.** एल**.)** में प्रत्यर्थी संख्या **1 2022** की संख्या **27**

16. अभियुक्त सं. 6 का तर्क है कि अपीलार्थी अच्छी तरह से जानता है कि उक्त अभियुक्त की वास्तव में अपराध में कोई भूमिका नहीं थी, और उसका नाम केवल व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण प्राथमिकी में रखा गया था।कि उक्त अभियुक्त, केवल इस कृत्य में शामिल लोगों को अलग करने की कोशिश कर रहा था।हालाँकि, ऐसा करने में विफल रहने पर, वह बस समूह से दूर चले गए।17. यह आगे तर्क दिया जाता है कि अर्नब के मामले में यह अदालत

ई.

मनोरंजन गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य। **2,** है

दोहराया कि जमानत न्यायशास्त्र के पीछे मूल नियम जमानत देना है न कि जेल।कि अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो यह सुझाव दे कि वर्तमान अभियुक्त ने कथित अपराध करने में भाग लिया था।यहां तक कि उकसाने का आरोप भी खोखला है और इसे साबित नहीं किया जा सकता है।

एफ.

अभियुक्त संख्या **8** द्वारा की गई दलीलें:एस**.** एल**.** पी**. (**सी**.** आर**.** एल**.)** में प्रत्यर्थी संख्या **1 2022** का सं**. 1242**

जी.

18. अभियुक्त सं. 8 का तर्क है कि उसका नाम केवल धारा 161 Cr.P.C के तहत अपीलार्थी द्वारा दिए गए बाद के बयान के माध्यम से एफ. आई. आर. में जोड़ा गया था और इसमें अपीलार्थी, केवल सी. डब्ल्यू.-2 यानी बदरुल मुनीर और उसके परिवार के हाथों उपकरण बन गया है।

2 (2021) 2 एस. सी. सी. 427

एच.

19. यह आगे तर्क दिया जाता है कि अपीलार्थी ने वर्तमान एस. एल. पी. में उत्तरदाता प्रत्यर्थी के खिलाफ सर्वव्यापी और व्यापक आरोप लगाए हैं जो अभिलेख पर सामग्री के विपरीत हैं।

20. अभियुक्त प्रत्यर्थी ने आगे इस अदालत के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया है ताकि इस बात पर जोर दिया जा सके कि जमानत को रद्द करने का निर्देश देने वाले आदेश के लिए बहुत ठोस और भारी परिस्थितियाँ आवश्यक हैं।यह भी कहा गया है कि एक बार दी गई जमानत को इस बात पर विचार किए बिना यांत्रिक तरीके से रद्द नहीं किया जा सकता है कि क्या किसी पर्यवेक्षण परिस्थितियों ने निष्पक्ष सुनवाई की अनुमति देना असहनीय बना दिया है।

बी.

(दौलत राम और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (1995) 1 एस. सी. सी. 349, राज्य (दिल्ली प्रशासन) बनाम संजय गांधी (1978) 2 एस. सी. सी. 411, कश्मीरा सिंह बनाम दुमन सिंह (1996) 4 एस. सी. सी. 693, सी. बी. आई. बनाम सुब्रमण्यन (2011) 5 एस. सी. सी. 296, एक्स बनाम तेलंगाना राज्य (2020) 16 एस. सी. सी. 511 देखें।

सी.

विश्लेषण

डी.

21. अपीलार्थी और प्रत्यर्थीगण द्वारा यहां दिए गए प्रासंगिक तथ्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद, हमारी सुविचारित राय में, प्रमुख मुद्दा जिसके लिए तत्काल मामले में निर्धारण की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने यांत्रिक तरीके से अपने विवेकाधिकार का प्रयोग किया है, यानी कि क्या उच्च न्यायालय के विवादित आदेशों ने दोनों अभियुक्तों को जमानत पर बढ़ाने के विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए साबित सिद्धांतों को नजरअंदाज कर दिया है।

ई.

22. अभियुक्त प्रत्यर्थीगण के खिलाफ उपलब्ध सामग्री की प्रकृति का विश्लेषण करने से पहले, अभियुक्त संख्या 8 द्वारा उठाए गए तर्क को संबोधित करना उचित है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि जमानत को रद्द करने का निर्देश देने वाले आदेश के लिए ठोस और

भारी परिस्थितियां आवश्यक हैं।इसके अलावा, जमानत रद्द करना उन परिस्थितियों पर निर्भर करता है जिनके कारण निष्पक्ष सुनवाई करना मुश्किल हो सकता है।

एफ.

23. वास्तव में, यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि एक बार जमानत दिए जाने के बाद इसे रद्द करने के लिए भारी परिस्थितियों की आवश्यकता होगी।हालाँकि, इस न्यायालय ने विपन कुमार धीर बनाम पंजाब राज्य और अन्न मामले में अपने फैसले में कहा। 3 ने यह भी दोहराया है कि जबकि पारंपरिक रूप से, एक अभियुक्त को जमानत देने के बाद निष्पक्ष सुनवाई में बाधा डालने वाली कुछ पर्यवेक्षण परिस्थितियां विकसित होनी चाहिए, क्योंकि एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इसे रद्द कर दिया गया है।

जी.

3 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 854 ए

एच.

1101

इमरान बनाम श्री मोहम्मद बावा और ए. एन. आर. [कृष्णा मुरारी, जे.] ए.

अदालत, जमानत, एक उच्च न्यायालय द्वारा भी रद्द की जा सकती है, जब जमानत देने वाली पिछली अदालत ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध प्रासंगिक सामग्री, अपराध की गंभीरता या इसके सामाजिक प्रभाव की अनदेखी की है।यह इस प्रकार देखा गयाः-

“9. ..... परंपरागत रूप से, ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जो जमानत देने के बाद विकसित हो सकती हैं और निष्पक्ष सुनवाई के लिए अनुकूल नहीं हैं, जिससे इसे रद्द करना आवश्यक हो जाता है।

बी.

जमानत।इस न्यायालय ने दौलत राम और अन्य बनाम राज्य

हरियाणा ने देखा किः“प्रारंभिक चरण में गैर-जमानती मामले में जमानत की अस्वीकृति और इस तरह से दी गई जमानत को रद्द करने पर विचार किया जाना चाहिए और अलग-अलग आधार पर निपटा जाना चाहिए।पहले से दी गई जमानत को रद्द करने का निर्देश देने वाले आदेश के लिए बहुत ठोस और भारी परिस्थितियां आवश्यक हैं।आम तौर पर, जमानत रद्द करने के आधार, मोटे तौर पर (उदाहरणात्मक और संपूर्ण नहीं) हैंःन्याय के प्रशासन के उचित पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप या हस्तक्षेप करने का प्रयास या चोरी या न्याय के उचित पाठ्यक्रम से बचने का प्रयास या किसी भी तरह से अभियुक्त को दी गई रियायत का दुरुपयोग।अभियुक्त के फरार होने की संभावना के अभिलेख पर रखी गई सामग्री के आधार पर अदालत की संतुष्टि

जमानत रद्द करने को उचित ठहराने का एक और कारण है।हालांकि, एक बार दी गई जमानत को इस बात पर विचार किए बिना यांत्रिक तरीके से रद्द नहीं किया जाना चाहिए कि क्या किसी भी पर्यवेक्षी परिस्थितियों ने मुकदमे के दौरान जमानत की रियायत का आनंद लेते हुए आरोपी को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की अनुमति देने के लिए इसे निष्पक्ष सुनवाई के लिए अनुकूल नहीं बनाया है।"

सी.

डी.

ई.

एफ.

10. इन सिद्धांतों को बार-बार दोहराया गया है, हाल ही में इस न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा X बनाम X में।

तेलंगाना राज्य और एक अन्य।

11. उद्धृत निर्णय (ओं) में दर्शाई गई चेतावनी के अलावा, जमानत को भी रद्द किया जा सकता है जहां अदालत ने अप्रासंगिक कारकों पर विचार किया है या रिकॉर्ड पर उपलब्ध प्रासंगिक सामग्री की अनदेखी की है जो जमानत देने के आदेश को कानूनी रूप से असमर्थनीय बनाता है।अपराध की गंभीरता, अभियुक्त का आचरण और न्यायालय द्वारा अनुचित संलिप्तता का सामाजिक प्रभाव जब अनुसंधान सीमा पर होती है, भी कुछ स्थितियों में से हैं, जहां -

जी.

एच.

सर्वोच्च न्यायालय न्याय की विफलता को रोकने और आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन को मजबूत करने के लिए जमानत के आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है।

24. इससे पहले भी यह अदालत**,** राम गोविंद उपाध्याय के मामले में

बनाम सुदर्शन सिंह और अन्य **4** ने कहा है:

बी.

"9. .....निस्संदेह, जमानत देने के लिए लागू विचार और जमानत के ऐसे आदेश को रद्द करने के लिए विचार स्वतंत्र हैं और एक-दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, लेकिन जमानत

देने के उद्देश्य से प्रासंगिक विचारों पर विचार न करने की स्थिति में और अभिलेखों पर अस्वीकृति का एक पूर्व आदेश उपलब्ध होने की स्थिति में, उच्च न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह स्पष्ट रूप से कारणों को बताए कि अनुदान के आदेश में अचानक प्रस्थान क्यों हुआ, जबकि अस्वीकृति लगभग एक महीने पहले हुई थी।"

सी.

25. इसी तरह, प्रशांत कुमार सरकार बनाम आशीष के मामले में।

चटर्जी और अन्र। **5,** यह देखा गया हैः

डी.

"9. हमारा मानना है कि विवादित आदेश स्पष्ट रूप से अस्थिर है।यह सामान्य बात है कि यह न्यायालय आम तौर पर उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत देने या अस्वीकार करने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करता है।तथापि, उच्च न्यायालय पर यह समान रूप से दायित्व है कि वह इस मुद्दे पर इस न्यायालय के कई निर्णयों में निर्धारित बुनियादी सिद्धांतों का पालन करते हुए विवेकपूर्ण, सावधानीपूर्वक और सख्ती से अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करे।यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अन्य परिस्थितियों के अलावा, जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय जिन कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए वे हैंः((i) क्या यह विश्वास करने के लिए कोई प्रथम दृष्टया या उचित आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया था; (ii) आरोप की प्रकृति और गंभीरता; (iii) दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता; (iv) जमानत पर रिहा होने पर अभियुक्त के फरार होने या भागने का खतरा; (v) चरित्र, व्यवहार, अर्थ, स्थिति और आरोपी की स्थिति; (vi) अपराध के दोहराने की संभावना; (vii) गवाहों के प्रभावित होने की उचित आशंका; और (viii) निश्चित रूप से, जमानत देने से न्याय को विफल करने का खतरा।

ई.

एफ.

जी.

4 (2002) 3 एससीसी 598 5 (2010) 14 एससीसी 496 ए

एच.

10. यह स्पष्ट है कि यदि उच्च न्यायालय इन प्रासंगिक विचारों का विज्ञापन नहीं करता है और यांत्रिक रूप से जमानत प्रदान करता है, तो उक्त आदेश मन का उपयोग न करने के

दुष्प्रभाव से ग्रस्त होगा, जिससे यह अवैध हो जाएगा।मसरूर (ऊपर) में, इस न्यायालय की एक खंड पीठ, जिसमें हममें से एक (डी. के. जैन, जे.) सदस्य थे, ने निम्नलिखित टिप्पणी की:"यद्यपि जमानत देने के चरण में साक्ष्य की विस्तृत जांच और मामले की योग्यता को छूने वाले विस्तृत कारणों से बचा जाना चाहिए, जो अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह के आदेश में यह निष्कर्ष निकालने के लिए कारण इंगित करने की आवश्यकता है कि जमानत क्यों दी जा रही थी, विशेष रूप से जहां अभियुक्त पर गंभीर अपराध करने का आरोप लगाया गया है।" (2005) 8 एससीसी 21 (2001) 4 एससीसी 280 (2002) 3 एससीसी 598 (यह भी देखें):महाराष्ट्र राज्य बनाम रितेश 5; पंचानन मिश्रा बनाम दिगंबर मिश्रा & Ors.6; विजय कुमार बनाम नरेंद्र & Ors.7; अनवरी बेगम बनाम शेर मोहम्मद & Anr8) "

बी.

सी.

26. इस प्रकार, निचली अदालत द्वारा पहले से दी गई जमानत को रद्द करने पर विचार करते समय, वास्तव में उच्च न्यायालय के कहने पर महत्वपूर्ण जांच की आवश्यकता होगी, हालांकि, जमानत दिए जाने पर हमेशा रद्द की जा सकती है यदि रिकॉर्ड पर प्रासंगिक सामग्री, अपराध की गंभीरता या इसके सामाजिक प्रभाव पर निचली अदालत द्वारा विचार नहीं किया गया है।ऐसे मामलों में, जहां जमानत यांत्रिक तरीके से दी जाती है, जमानत देने का आदेश दरकिनार किया जा सकता है।इसके अलावा, ऊपर दिए गए निर्णय कुछ बुनियादी सिद्धांतों को सूचीबद्ध करते हैं जिन्हें जमानत देने के लिए आवेदन पर निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।इस प्रकार, जबकि प्रत्येक मामले का अपना विशिष्ट तथ्यात्मक मैट्रिक्स होता है, जो जमानत मामलों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जमानत देने का उपयोग उपर्युक्त अच्छी तरह से तय किए गए सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए भी किया जाना चाहिए।

डी.

ई.

एफ.

27. तत्काल तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर आते हुए, दो अभियुक्त प्रत्यर्थीगण, अभियुक्त संख्या 6 और अभियुक्त संख्या 8 को जमानत देने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेशों को देखने के बाद, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने उन्हें मुख्य रूप से इस आधार पर रिहा कर दिया है कि उनके खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया सामग्री उपलब्ध नहीं थी और उनके खिलाफ कोई विशिष्ट स्पष्ट कार्य नहीं किया गया था।

जी.

28. हालांकि, आरोप पत्र और रिकॉर्ड पर उपलब्ध अन्य सामग्री का अवलोकन, विशेष रूप से सभी चश्मदीद गवाहों के बयान, स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि आरोपी नंबर 2 से 10 ने आरोपी नंबर 1 द्वारा रची गई साजिश के आधार पर सीडब्ल्यू-2 (बदरुल मुन्नर) पर हमला किया था, और

एच.

सी. डब्ल्यू.-3 (हियाज़)।इसके बाद, जब मृतक अब्दुल लतीफ ने हस्तक्षेप किया तो बदरूल मुन्नर और हियाज़ को उक्त आरोपी संख्या 2 से 10 द्वारा बेरहमी से हमला किए जाने पर, सभी उक्त अभियुक्तों द्वारा उनका पीछा किया गया और उनकी हत्या कर दी गई।

29. यहाँ यह उल्लेख करना उचित हो जाता है कि पंद्रह से अधिक गवाहों के बयान से पता चलता है कि सभी अभियुक्तों ने एक सामान्य उद्देश्य के अनुसार उक्त घायल गवाहों और मृतक अब्दुल लतीफ पर हमला किया था।इसके अलावा, चिकित्सा राय और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) रिपोर्ट भी अभियुक्तों द्वारा उपयोग किए गए हथियारों की पुष्टि करती है, जैसा कि गवाहों ने अपने बयानों में उल्लेख किया है।

बी.

30. जहाँ तक अभियुक्त प्रत्यर्थीगण के खिलाफ विशिष्ट कृत्यों के आरोप का संबंध है, सभी गवाहों के बयान से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्त संख्या 6 और 8 ने वास्तव में मृतक पर हमला करने में भाग लिया है।इसके अलावा, जैसे ही आरोपी समूह ने अपना हमला जारी रखा, आरोपी संख्या 6 ने उन्हें यह कहकर उकसाया कि यह पर्याप्त नहीं था।इसके बाद, शिकायतकर्ता/अपीलार्थी के बयान के अनुसार, मोटरसाइकिल पर आए आरोपी संख्या 8 ने भी मृतक को लकड़ी की छड़ी से बेरहमी से पीटा था।इन बयानों के अलावा, यह इंगित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि एक सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए एक जघन्य अपराध किया गया था, और इसलिए आरोपी प्रत्यर्थीगण को जमानत पर नहीं बढ़ाया जाना चाहिए था।

सी.

डी.

ई.

31. उच्च न्यायालय अभियुक्त प्रत्यर्थीगण को जमानत देते समय, इस प्रकार उनके खिलाफ आरोपों की प्रकृति और प्रासंगिक साक्ष्य सामग्री पर विचार करने में विफल रहा।

32. नीरू यादव बनाम के मामले में यह अदालत। यू. पी. राज्य और

अन्न**., 6** ने यह भी दोहराया है किः

एफ.

"11. कुछ कारकों को ध्यान में रखना न्यायालय का कर्तव्य है और वे मूल रूप से हैं, (i) आरोप की प्रकृति और दोषसिद्धि के मामलों में सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्य की प्रकृति, (ii) वादी को खतरे की आशंका के लिए गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका, और (iii) आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि।"

जी.

33. हाथ में मामले के तथ्यों के ऊपर निर्दिष्ट इस अदालत के फैसलों के अनुपात को लागू करते हुए, हमें अवलोकन करने में कोई संकोच नहीं है

6 (2016) 15 एससीसी 422 ए

एच.

कि उच्च न्यायालय ने जमानत देने के लिए बुनियादी सिद्धांतों पर विचार नहीं करने में गलती की, जो विभिन्न न्यायिक घोषणाओं द्वारा अच्छी तरह से साबित है।उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि इसमें अभियुक्त प्रत्यर्थीगण के खिलाफ पर्याप्त सामग्री मौजूद है, ताकि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया जा सके।

34. एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए वह यह है कि शुरू में, उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त संख्या 7,9 और 10 को दी गई जमानत को स्वयं उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था।उक्त आदेश की पुष्टि इस न्यायालय द्वारा एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) में दिनांकित 20.10.2021 आदेश द्वारा की गई है। 2021 का सं. 7586-7592।अभियुक्त नं. 1 को दी गई जमानत को भी इस न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील नं. 79/2022 में दिनांकित 11.02.2022 आदेश के माध्यम से रद्द कर दिया गया है।
35.उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों के लिए, बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक याचिका संख्या 6052/2020 और आपराधिक याचिका संख्या 3902/2020 में अभियुक्त संख्या 6 और 8 को जमानत पर रिहा करने के लिए पारित किए गए दिनांकित 08.02.2021 और 19.10.2020 के विवादित आदेशों

को रद्द कर दिया गया है।प्रत्यर्थी-अभियुक्तों को आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें विफल रहने पर उन्हें उक्त उद्देश्य के लिए पुलिस हिरासत में ले लिया जाएगा।36. इसमें की गई टिप्पणियां वर्तमान कार्यवाही तक सीमित हैं और मामले की योग्यता के आधार पर हमारे द्वारा किसी भी राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं समझी जाएंगी।

बी.

सी.

डी.

ई.

37. नतीजतन, अपीलों को उपरोक्त शर्तों पर अनुमति दी जाती है।

देविका गुजराल

अपीलों की अनुमति दी गई।

एफ.

जी.

एच.